1२0 9.3.16 को पेश हो।

09/3/16 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान् उपस्थित हैं। तहसीलदार रामगंजमण्डी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली है। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान् को सुना गया।

तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं। ग्राम चेचट की भूमि खसरा नम्बर 1586 रकबा 3.47 हैक्टर का पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार ~~हो सके~~ होल्डिंग्स विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम पक्षकार मय विवरण	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म
(1)	सुनील कुमार S/o जौहरी लाल कौम महाजन जैन	चेचट	1586	1.73	प०
(2)	प्रेम कुमार मेहता S/o जौहरीलाल जैन सा० कोटा	-॥-	1586	0.87	प०
(3)	अंशुल गोयल S/o मोहनलाल जाति महाजन सा० कोटा	-॥-	1586	0.87	उ०

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। नक्शे में आवश्यक रूप से तरमीम की जावे।

Judl/Civil
Part IV-10

फाइनल डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(5)

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

नाम अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी

इजलास — एस0 डी0 मीणा [R.A.S.]

अंशुल गोयल — बनाम — प्रेम कुमार

दावा बाबत — 53. R.T. Act. 1955

मुकद्दमा नं. — 62 — सन् — 2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — मुझ S.D. मीणा [R.A.S.]

बहाजरी — श्री S.R. अहीर एड0 — मिनजानिब मुद्दई व — श्री S.N. नागर एड0 — मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

तहसीलदार रामगंजमण्डी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर ग्राम चैचट के ख0नं0 1586 रकबा 3.47 हे0 का पक्षकारान के मध्य फर्द पर अंकित अनुसार होल्डिंग विभाजन किया जाता है।

खर्च — ✓ — मुबलिग — ✓ — बाबत — ✓

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — ✓ — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक — ✓ — को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 09 — माह — 03 — 2016 को जारी की गई।

दस्तखत — उपखण्ड अधिकारी

ओहदा — रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..	/		स्टाम्प वकालतनामा ..	/	
स्टाम्प वकालतनामा ..	/		स्टाम्प अर्जी ..	/	
स्टाम्प वजह सबूत ..	/		महनताना वकील पर ..	/	
महनताना वकील ..	/		खर्चा गवाहान ..	/	
खर्चा गवाहान ..	/		फीस कमिश्नर ..	/	
फीस कमिश्नर ..	/		बाबत इजराय हुक्मनामा ..	/	
बाबत इजराय हुक्मनामा ..	/		मुतफर्रिक ..	/	
मुतफर्रिक ..	/				
मीजान ..	—	—	मीजान ..	—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

रा. म. मो. -40-2003-1,00,000 प्र.

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्र० सं	नाम पक्षकार मय विवरण	ग्राम	ख० नं	रकबा	दिशा
(1)	सुशील कुमार पुत्र जौहरीलाल कौम महाजन जैन	चैचट	1586	1.73	द० प०
(2)	प्रेमकुमार मेहता पुत्र जौहरीलाल जैन सा० कोटा	—״—	1586	0.87	प०
(3)	अंशुल गोयल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन सा० कोटा	—״—	1586	0.87	उ०

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। नक्शे में आवश्यक रूप से तामील की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

उनवान ५ अंशुल गोयल बनाम २ प्रेम कुमार

मुकदमा 53. R.T. Act नम्बर 62/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पीठासीन अधिकारी ⇒ S.D. मीणा [R.A.S] दि० 22.12.15 उप० अधिवक्ता (1) श्री S.R. अहीर → वकील वादी (2) श्री S.N. नागर → वकील प्रति-1 -: निर्णय :- संक्षेप में प्रकरण निम्न प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता विरुद्ध प्रति० इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम चैचट में खसरा संख्या 1586 रकबा 3.47 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का $\frac{1}{4}$, प्रतिवादी नं० 1 का $\frac{1}{4}$ तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का $\frac{1}{2}$ हिस्सा है। उक्तानुसार ही पक्षकार मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त भूमि शामलाती खाते में दर्ज है, प्रतिवादी० वादी के कहने पर खाता विभाजन से इन्कार कर चुके हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का पक्षकारों के मध्य खाता एवं लगान का विभाजन किया जाने का आदेश फरमाया जावे। बाद वादी पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजि० किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन	

- क्रमशः -

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या अहकाम हुक्म की मैं जारी
	तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से श्री D.M. नागर विद्वान अधिवक्ता द्वारा V.T. दी। प्रतिवादी नम्बर 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रति० नम्बर 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे की COPY विद्वान अधिवक्ता वादी को दिलाई जाकर जवाब प्रा० फा० किया गया। वादी के वादपत्र, वाँछित अनुतोष प्रतिवादी के प्रतिवादपत्र के कथन तथा अनुतोष के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये। (1) आया वादी वादग्रस्त आराजियात का होल्डिंग विभाजन करा कर अपना खाता पृथक दर्ज करवाने का हकदार है। -जिम्मे वादी- (2) आया धारा 80 C.P.C. के नोटिस के अभाव में वाद वादी काबिल खारिज है। (3) अनुतोष पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति-युक्त अवसर दिये गये। दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा स्वयं का शपथपत्र एवं नकल जमाबंदी ग्राम चौचार 2004-2005 खाता नं० 726 प्रदर्श-1 पेश की। प्रतिवादी० 2 के द्वारा पर्याप्त अवसरों के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस पर विचार किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। तनकीवार विवेचन अधोलिखितानुसार है। तनकी नं० 1:- इस तनकी को सिद्ध करने -क्रमशः-	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र एवं नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 प्रस्तुत किये हैं। हस्ब प्रदर्श-1 बादगात भूमि वाके माल मौजा चैचट खसरा नम्बर 1586 रकबा 3.47 हैक्टर भूमि सुनील कुमार S/O जौहरीलाल अर्थात प्रतिवादी नं० 2 हि० 1/2 तथा वादी व प्रतिवादी नं० 1 [प्रेम कुमार] के नाम हि० 1/2 में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार हस्ब नकल जमाबंदी वाके माल मौजा चैचट 2004-24 खाता नं. 726 पर वादी बादगात भूमि का अभिलिखित सह खातेदार प्रमाणित है। वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अपना खाता एवं लगान अलग दर्ज करवाने का हकदार प्रमाणित होता है। वैसे भी प्रतिवादी नम्बर 1 को बादगात भूमि का "मीट्स एण्ड बाउण्ड" के आधार पर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के अनुसार खाता विभाजन पर ऐतराज नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर यह तनकीह बहक वादी तय की जाती है। तनकीह नं० 2:- इस तनकीह को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अलावा क्रमशः:-	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम औ[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी [illegible]
	धारा 80. C.P.C. से प्रतिo नंo 3 प्रभावित पक्षकार है, न कि प्रतिo नंo 1 या 2। प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा इस क्रम में किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की गई थी अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है।	
	तनकी नम्बर 3:- तनकी नम्बर 1 से 2 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम चैचट खसरा नम्बर 1586 रकबा 3.45 हेक्टर का वादी तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के मध्य होल्डिंग विभाजन किया जाता है। तहसीलदार रामगंजमण्डी राजस्थान काश्तकारी मण्डल नियम 14-21 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव पेश करें तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।	
	निर्णय आज दिo 22.12.15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	[S.D. मीणा] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

8

प्राथमिक डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

बअदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम रामगंजमण्डी

व इजलास — एस० डी० मीणा [आर० ए० एस०]

अंशुल गोयल — बनाम — प्रेम कुमार

दावा बाबत — 53 R.T. Act

मुकदमा नं. 62 — सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल ... S.D. MEENA [R.A.S.]

बहुजूरी — श्री S.R. अहीर एड० — मिनजानिब मुद्दई व — श्री ... एड०

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम चैचट खसरा नं० 1586 रकबा 3.47 हेक्टर का वादी तथा प्रतिवादी नं० 1 व 2 के मध्य होल्डिंग विभाजन किया जाता है। तहसीलदार रामगंजमण्डी, राजस्थान काश्तकारी मण्डल नियम 18-21 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव पेश करें।

मीजान — x — मुबलिग — x — मीजान — x

खर्चा इस मुकद्दमे के व सूद व शरह — x — यौमदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — x — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 12 2015 को जारी की गई।

दस्तखत — [signature]

मुहर — ओहदा — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक					
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकारान स्वयं वहन करें।

रा. मु. जो.-40-2004-1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी